न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 53/2019

अपीलांन्ट्स :–

1. गवरी देवी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी डावोला का बास बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. लिच्छूदेवी पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट निवासी बावड़ी हाल निवास अरटीया कलां तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।
3. गनी देवी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी बावड़ी हाल निवास अणवाणा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
4. पप्पुदेवी पुत्री रूघाराम जाति जाट निवासी बावड़ी हाल निवास डांवरा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. अर्जुनराम पुत्र श्री नैनाराम
2. धन्नी पुत्री श्री नैनाराम
3. जमना पत्नी श्री नैनाराम
4. काली पुत्री श्री गिरधारीराम
5. रूकमा देवी पत्नी श्री गिरधारीराम, सभी जातियान् जाट, निवासीगण गोदारों की ढाणी, बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान
6. ग्राम पंचायत बावड़ी जरिये सरंपच ग्राम पंचायत बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

भू–राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1443 जो ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा दिनांक 14.03.1982 को स्वीकार किया गया।

निर्णयः–

दिनांकः– 05.04.2022

अपीलांन्टस ने एक नामान्तरण अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत की :–

ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा स्वीकृत फरमाये गयें नामान्तरण क्रमांक 1443 दिनांक 14.03.1982 के विरूद्व अपीलांन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ संलग्न है। ग्राम बावड़ी चक द्वितीय पटवार हल्का बावड़ी चक द्वितीय, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में अपीलांन्ट व रेस्पोडेन्टस की पुश्तैनी, संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय जो खाता संख्या नई 102 व पुरानी 114 पर इन्द्राज सुदा है। इसी प्रकार खसर नम्बर 18 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 48 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 50/1 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 4 बी[illegible] खसरा नम्बर 104 रकबा 03 बिस्वा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 105 रकबा [illegible] बिस्वा [illegible] किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 106 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 06 [illegible] किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 108 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा [illegible] बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी कुल खसरा 13 कुल रकबा 55 बीघा [illegible] बिस्वा भूमि जो खात संख्या नई 103 व पुरानी 113 इन्द्राज सुदा है जिसे आगे अपील [illegible] ग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक से छह का सजरा खानदान यानि वंशवृक्ष निम्न है :–

रूघाराम पुत्र भीकाराम

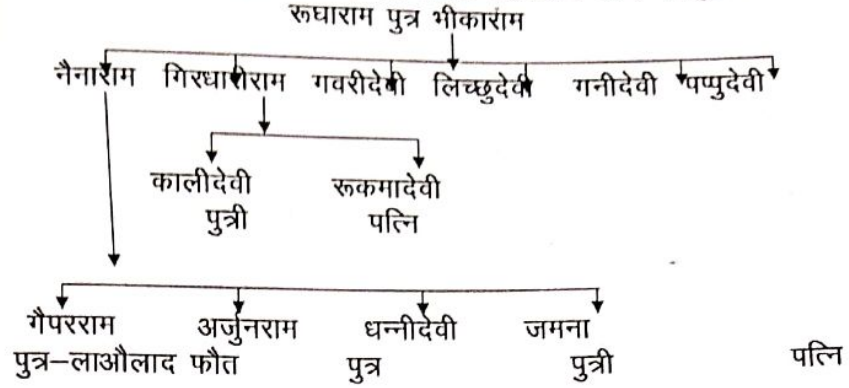

नैनाराम गिरधारीराम गवरीदेवी लिच्छुदेवी गनीदेवी पप्पुदेवी

कालीदेवी पुत्री रूकमादेवी पत्नि

गैपरराम पुत्र–लाऔलाद फौत अर्जुनराम धन्नीदेवी पुत्र जमना पुत्री पत्नि

वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि रही है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के दादा परदादा काबिज काश्त थें। अपीलांट्स के दादा के स्वर्गवास पश्चात् वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई। अपीलांट्स अपने पिता के जीवनकाल के समय से ही वादग्रस्त आराजी पर उनके साथ साथ काबिज काश्त थें। अपीलांट्स के पिता रूघाराम के स्वर्गवास बाद वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स व अपीलांट्स के भाई नैनाराम व गिरधारीराम में समाहित हो गई एंव वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक अपीलांट्स 1/6–1/6 वां हिस्सें पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स के पिता स्व. रूघाराम का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकार करते समय हल्का पटवारी द्वारा बिना वंशावली की जाचं किये वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के भाई नैनाराम व गिरधारीराम का नाम इन्द्राज कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट्स अपने संयुक्त 4/6 वां हिस्सें पर आज दिन तक काबिज काश्त है। अपीलांट्स के भाई नैनाराम व गिरधारीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके विधिक वारिशान रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छह है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स का शामलाती 4/6 वां हक हिस्सा व रेस्पोडेन्टस संख्या एक से चार का 1/6 हिस्सा व रेस्पोडेन्टस संख्या पांच व छह का 1/6 वां हक हिस्सा कानूनन निहीत है तथा इसी हक हिस्सें अनुसार अपीलांट्स व रेस्पोडेन्टस संख्या एक से सात वादग्रस्त आराजी में काबिज काश्त है तथा सहुलियत अनुसार काश्त कार्य करते आये है। अपीलांट्स के पिता रूघाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टस का बराबर बराबर हक व हिस्सा होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टस संख्या एक से सात के पिता नैनाराम व गिरधारीराम ने सम्पुर्ण वादग्रस्त आराजी कों अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी नामान्तकरण के इन्द्राज करवा दिया तथा नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 14.3.1982 को यह कहते हुए स्वीकृत करवा लिया कि श्री रूघाराम जी के नैनाराम व गिरधारीराम के अलावा कोई वारिस नही है जबकि अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी में रूघाराम जी के विधिक वारिस होने के नाते बराबर बराबर रूप से हक व हिस्सा निहीत है। ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा जो नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 14.3.1982 को स्वीकृत किया उसके विरूद्व अपीलान्टस द्वारा अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है। अपीलान्टस के पिता का देहान्त आज से करीब 38 वर्ष पूर्व हो गया इसलिए उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टस का संयुक्त रूप से 4/6 वॉ हक व हिस्सा निहीत है। वादग्रस्त आराजी अपीलान्टस के पिता स्व. रूघाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी तथा स्व. रूघाराम जी के देहान्त के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः के पिता नैनाराम व गिरधारीराम ने अपीलांट्स के साथ विश्वासघात करते हुए बाले बाले तरीके से वादग्रस्त आराजी को हड़प करने की नियत से केवल अपने नाम से नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 14.3.1982 को स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलांट्स स्व. रूघाराम के उत्तराधिकारी होने के नाते सभी का बराबर बराबर हक व हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रैणी के उत्तराधिकारियों का पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्र,पुत्रीयॉ व पत्नि का बराबर बराबर हक हिस्सा कानूनन निहीत है जिसे नजरअंदाज नही किया जा सकता। वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

मे रूघाराम जी के देहान्त के पश्चात जो नामान्तकरण संख्या 1443 भरा गया उसमें रूघाराम जी के सभी विधिक वारिसान का नाम इन्द्राज होना चाहिए था लेकिन पुत्र गिरधारीराम व नैनाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकार किया गया जो कि विधि विरूद्ध है तथा काबिल ए खारिज है जिसें खारिज फरमाया जावे। स्व. रूघाराम जी के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टस तथा रेस्पोडेन्टस का बराबर बराबर हक व हिस्सा है लेकिन वर्तमान में नामान्तकरण संख्या 1443 केवल रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः के नाम से इन्द्राज होने से तथा उसकी जानकारी अपीलान्टस को नही होने से व बिना सुनवाई के अवैधानिक तरीके से नामान्तकरण स्वीकार किये जाने से नामान्तकरण विधि विरूद्व होने से काबिल ए खारिज होने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टस का संयुक्त रूप से 4/6 वों हिस्सा निहीत है तथा अलग अलग रूप से 1/6–1/6 वां हक हिस्सा निहीत होने से अपीलान्टस अपने हक हिस्से की भूमि में काबिज होकर काश्त करती है तथा अपने उपयोग व उपभोग में लेती है। दिनांक 02.06.2019 को अपीलान्टस वादग्रस्त आराजी मे अपने बंट व हिस्से की भूमि पर सुड़ कर रहे थे तभी रेस्पोडेन्टस संख्या एक से सात अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये व बैचान करने की नियत से दिखानें लगे तब अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या एक से छः से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित भूमि है जिसमें अपीलान्टस का हक हिस्सा कानूनन निहीत है आपको अविभाजित आराजी को बैचान करने का कोई अधिकार नही है जिस पर रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः ने अपीलान्टस को ऐलानियॉ धमकि दी कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः का नाम दर्ज है एंव अपीलान्टस का नाम इन्द्राज नही है इसलिए रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः अविभाजित आराजी को बैचान,हस्तातंरण करके रहेगे व खुर्द बुर्द कर अपीलान्टस को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देगे व पैतृक पुश्तैनी आराजी के अधिकारों से अपीलान्टस को वंचित कर देगे जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या एक से छः को कोई विधिक अधिकार नही है। रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः ने जब अपीलान्टस को कहा कि वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हक व हिस्सा नही है तो बिना कोई देरी किये अपीलान्टस अनपढ़ होने के बावजुद भी हल्का पटवारी बावडी चक द्वितीय से सम्पर्क किया व नामान्तकरण व सबंधित जमाबंदीयॉ की नकल प्राप्त की तब अपीलान्टस को पता चला कि रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छः के पिता नैनाराम व गिरधारीराम ने बडी ही चालाकी से सम्पुर्ण वादग्रस्त जायगा को अपने नाम से करने के लिए व हड़प करने के लिए फौतेदगी नामान्तकरण केवल मात्र अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया जबकि रूघाराम के अन्य वारिस अपीलान्टस का नाम फौतेदगी नामान्तकरण में स्वीकार नही करवाया। प्रथम जानकारी से अपीलांट्स ने अविलम्ब उक्त नामान्तकरण के विरूद्व अपील पेश कर दी है जिससे भी उक्त नामान्तकरण खारिज कियें जाने योग्य है। अपीलान्टस के पिता स्व. रूघाराम के छः जाईन्दा संताने है जिसमें अपीलांट्स चार पुत्रीयॉ एंव रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छह के पिता नैनाराम व गिरधारी है जो सजरा खानदान से साबित है। ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा दिनांक 14.3.1982 को नामान्तकरण संख्या 1443 विधि विरूद्व तरीके से पारित फरमाया गया व बिना जॉच एंव बिना सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत फरमाया गया जो कि काबिल ए खारिज है। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टस का संयुक्त रूप से 4/6 वॉ हक व हिस्सा निहीत है जो नामान्तकरण संख्या 1443 को खारिज किये बगैर प्राप्त नही किया जा सकता। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को मद्वेनजर रखते हुए तथा हिन्दू विधिक के अनुसार अपीलान्टस का सजरा खानदान के अनुसार हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहीत है इसलिए न्यायहित में व अपीलान्टस के हक व हिस्से की सुरक्षा हेतु नामान्तकरण संख्या 1443 दिनांक 14.3.1982 को न्यायहित में खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छह के पिता नैनाराम व गिरधारीराम ने वादग्रस्त आराजी को अपने नाम से इन्द्राज करवा लिया व [illegible] जी के अन्य विधिक वारिस अपीलान्टस का नाम फोतेदगी नामान्तकरण में [illegible] के विधिक वारिसान के रूप में इन्द्राज नही करवाया जो कि [illegible] रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छह आवश्यक पक्षकार है [illegible] किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम बावड़ी में स्थित है तथा उक्त नामान्तकरण [illegible]ख्या 1443 ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा स्वीकृत किया गया इसलिए ग्राम पंचायत बावड़ी को आवश्यक पक्षकार होने से उक्त अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी को स्व. रूघाराम द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या एक से छह के पिता नैनाराम व गिरधारीराम को निजी रूप से नही दी गई बल्कि स्व. रूघाराम के देहान्त के पश्चात फोतेदगी नामान्तकरण संख्या 1443 स्वीकार किया गया जिसमें अन्य विधिक वारिसान को छोडते हुए केवल नैनाराम व गिरधारीराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकार किया गया जो कि अपने आप में अवैध व शुन्य है हिन्दू विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मृत होने पर उसकी सम्पदा मे उसके सभी वारिसों का बराबर बराबर हक व हिस्सा है इसलिए विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये गये नामान्करण संख्या 1443 को खारिज फरमाया जावें। ग्राम पंचायत बावड़ी ने नामान्तकरण स्वीकार करने से पहले भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की कोई भली भांति जॉच नही कर कानूनी वाक्याती भूल की है इस बिनाय पर आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1443 काबिल ए खारिज है जो खारिज फरमाया जावें। दिग्गर वजुहात बरवक्त बहस व बाद देखने रेकर्ड माननीय न्यायालय की अनूमति से निवेदन किये जायेगे। इस प्रकार से नामान्तरण अपील पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जावे एव अपीलाधीन नामातकरण संख्या 1443 दिनांक 14.3.1982 निरस्त फरमाया जाकर मृतक खातेदार स्व. रूघाराम के विधिक वारिसान जो सजरा खानदान में अंकित है के नाम फौतेदगी नामातकरण स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें। उक्त आश्य का अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या दो से छः अधिवक्ता हरेन्द्रसिंह चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर अपील जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी सहमति प्रदान की रेस्पोडेन्ट संख्या गोपाराम पुत्र नैनाराम को रेस्पोडेन्टस सूची से विलोपित कर उनके विरूद्ध किसी प्रकार कार्यवाही नही चाही है उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार कर रेस्पोडेन्टस संख्या एक को विलोपित किया गया। शेष रेस्पोडेन्टस ने उक्त अपील स्वीकार फरमायी जाने हेतु स्वयं स्वीकृति जबाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया।

जिसका जबाब रेस्पोडेन्टस ने प्रस्तुत कर अपील म्याद सुमार कर अन्दर म्याद की जाने हेतु सहमति प्रदान की।

उपभय पक्षकारान् बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी सम्पति में प्रथम श्रेणी के सभी उतराधिकारियों का बराबर–बराबर हक हिस्सा कानून होता है। इसलिए पुत्रियां को उनके पिता की पुश्तैनी सम्पति से वंचित नही किया जा सकता। रूघाराम पुत्र भीकाराम की पुत्रियां ने अपने पिता की पुश्तैनी सम्पति में हक हिस्सा मांगा है, जो हिस्सा उनको कानून ग्राम पंचायत द्वारा जरिये फौतदगी नामानतरण दिलाया जाना था। जिससे उनको वंचित किया है। जो कानून स्वीकारिय नही है। पिता की पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियां का हक हिस्सा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। उनको अपने इस सम्पति के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। एवं उक्त अधिकार प्राप्त करने के लिए समय अवधि किसी प्रकार से बाधा नही बन सकती। इसलिए उक्त अधिकार प्राप्त करने के लिए मयाद अवधि माफ की जाकर अपील मयाद सुमार की जाती है। तथा इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार करने योग्य होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बावड़ी को उक्त प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश प्रदान किया जाता है।

आदेश

अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 1443 ग्राम पंचायत बाव[illegible]रित आदेश दिनांक 14.03.1982 को निरस्त कर खारीज किया जाता [illegible]क खातेदार रूघाराम पुत्र श्री भीकाराम के स्थान पर उनके [illegible] आराजी का वादग्रस्त आराजी में प्रथम श्रेणी [illegible]मृतक रूघाराम पुत्र भीकाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान [illegible]के अलावा भी यदि कोई प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी होने का हक रखता है, त[illegible]सम्पूर्ण जांच कर नये सिरे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

नामान्तरणकरण किये जाने हेतु मामला तहसीलदार बावड़ी को प्रति परेक्षित किया जाता है, उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बावड़ी को तहरीर जारी हो ।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

फैसला खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.04.2022 को सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner